

8/9/2022

अधिकारी
पत्रावली पत्रिका
को पेश की।

8/10/2022

पत्रावली पेश हुई। वाणी वकील अप.।
वाणी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र
212 RTI को नोट-प्रेष करने
बाबत इंटरैक्टिंग की गई।
वाणी का द्वारा नोट-प्रेष में खारिज
किया जा चुका है। अब इस प्रश्न
212 RTI का कोई महत्व नहीं रह
जाता है।

अतः वाणी का प्रार्थना-पत्र
212 RTI वाणी वकील द्वारा ही गई
इंटरैक्टिंग के आधार पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली कुल्लु कुमार होकर
नम्बर से कुम. की जाकर
पाखिल दफ्तर है।

Wish
06/10/22

सपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Note
Press

6/10/22

नम प्रपत्र
सिविल प्र.
न्यायालय में वा
न्यायालय को
न्यायालय में
न्यायालय में